

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या - 94/2024(रे0वाद)
दायर दिनांक - 14/10/2024
निर्णय दिनांक - 18/07/2025

अनवान

1. गेहरू पिता हिरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम माद, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज)।
वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
-प्रतिवादीगण

उपस्थित :-


वादी की ओर से - श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से- पैरोकार सरकार

वाद पत्र :-अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी की स्वामित्व व आधिपत्य व खातेदारी, भूमि राज्य ग्राम माद पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 211 आराजी नम्बर 904 क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 212 आराजी नम्बर 1014 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1015 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 876 क्षेत्रफल 0.6800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 899 क्षेत्रफल 4.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 900 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 901 क्षेत्रफल 0.6600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 916 क्षेत्रफल 14.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 941 क्षेत्रफल 5.7900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 948 क्षेत्रफल 3.2000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 953 क्षेत्रफल 2.7200 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल क्षेत्रफल 32.3300 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 213 आराजी नम्बर 905 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 214 आराजी नम्बर 926 क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर स्थित होकर वादी कि संयुक्त परिवार की सम्पति है। जो उत्तराधिकारी में वादी संयुक्त रूप से मिली होकर संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की है किन्तु उक्त भूमि में वादी के पिता कि मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में विरासत का नामान्तरण खालते समय वादी का नाम गलत दर्ज गोकल पिता हीरा दर्ज हो गया जबकि वास्तविक में गेहरू पिता हीरा दर्ज होना चाहिये था। परन्तु गलती से गोकल पिता हीरा दर्ज हो गया था। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 211 में क्रम संख्या 7 पर व खाता संख्या 212




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

गेहरू वनाम सरकार


94/2024 (रे0वाद)

निर्णय दिनांक:-18/07/2025

में क्रम संख्या 7 पर व खाता संख्या 213 में क्रम संख्या 6 पर व खाता संख्या 214 में क्रम संख्या 6 पर गोकल पिता हीरा नाम गलत है। वास्तव में गेहरू पिता हीरा होना चाहिये था। पंटवारी हल्का ने नागान्तरकरण खोलते समय मेरे बोलते नाम गोकल दर्ज कर दिया बिना जाच किये दुसरो के कहने से नाम गोकल बता दिया गया था। जिससे मेरा वास्तविक नाम गेहरू के बजाय राजस्व रेकार्ड में गोकल दर्ज हो गया है वर्तमान जमाबन्दी में अभी तक चला आ रहा है उसको दुरस्त करवाने हेतु वाद पत्र पेश है। मेरे राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, में मेरा नाम गेहरू पिता हीरा दर्ज है एवं इसी नाम से मुझे पुकारा जाता है। मुझे कृषि भूमि पर ऋण वगैरहा लेने से जमीन की नकले निकलवाई तब मुझे गलत नाम का मुझे पता चला एवं जानकारी हुई। भूमि का नामान्तरकरण के समय में मेरे भाईयों के नाम के साथ मेरा नाम गोकल पिता हीरा भुल से लिखा गया है जबकि मेरा नाम गेहरू पिता हीरा है। उराजस्व रेकार्ड में मिस्टेक हुई है जिसे सुधारने हेतु यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पेश किया जा रहा है। तहसीलदार सा० भूमि धारी होने से व राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद का कारण दिनांक 03.08.2024 को पैदा हुआ, जब पटवारी हल्का द्वारा नकल प्राप्त करने से वाद का कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कि वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम माद पटवार मण्डल माद में जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2076 में वादी की खाता संख्या 211 आराजी नम्बर 904 क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर कुल किता । कुल क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 212 आराजी नम्बर 1014 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1015 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर आराजी नम्बर 876 क्षेत्रफल 0.6800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 899 क्षेत्रफल 4.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 900 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 901 क्षेत्रफल 0.6600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 916 क्षेत्रफल 14.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 941 क्षेत्रफल 5.7900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 948 क्षेत्रफल 3.2000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 953 क्षेत्रफल 2.7200 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल क्षेत्रफल 32.3300 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 213 आराजी नम्बर- 905 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 214 आराजी नम्बर 926 क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर भूमि में गोकल पिता हीरा नाम दर्ज है जो गलत है जबकि गेहरू पिता हीरा होना चाहिये। व गोकल पिता हीरा नाम का कोई पुत्र नहीं है व ताईद में शपथ पत्र, राशन कार्ड जनआधार कार्ड वोटर आई. डी. आधार कार्ड, संलग्न है। वादी के रेकार्ड में सुधार कर गोकल पिता हीरा के बजाय गेहरू पिता हीरा दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे ।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल




सहायक कलेक्टर
देवागढ़, जिला राजसमन्थ

गेहरू वनाम सरकार
94/2024 (रीवाद)
निर्णय दिनांक:-18/07/2025

किया गया। जवाब में उल्लेख किया कि ग्राम माद के जमाबन्दी खाता संख्या 211, 212, 213, 214 संवत् 2076 में प्रार्थी का नाम गोकल पिता हीरा साठ देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, पंचायत माद द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं मौतविरान अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम गेहरू पिता हीरा है। गोकल पिता हीरा के नाम से अन्य व्यक्ति नहीं होकर गोकल पिता हीरा एवं गेहरू पिता हीरा एक ही व्यक्ति है।


उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी की स्वामित्व व आधिपत्य व खातेदारी, भूमि राज्य ग्राम माद पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 211 आराजी नम्बर 904 क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 212 आराजी नम्बर 1014 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1015 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 876 क्षेत्रफल 0.6800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 899 क्षेत्रफल 4.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 900 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 901 क्षेत्रफल 0.6600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 916 क्षेत्रफल 14.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 941 क्षेत्रफल 5.7900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 948 क्षेत्रफल 3.2000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 953 क्षेत्रफल 2.7200 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल क्षेत्रफल 32.3300 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 213 आराजी नम्बर 905 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 214 आराजी नम्बर 926 क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर स्थित होकर वादी कि संयुक्त परिवार की सम्पति है। किन्तु उक्त भूमि में वादी के पिता कि मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में विरासत का नामान्तरण खालते समय वादी का नाम गलत दर्ज गोकल पिता हीरा दर्ज हो गया जबकि वास्तविक में गेहरू पिता हीरा दर्ज होना चाहिये था। परन्तु गलती से गोकल पिता हीरा दर्ज हो गया था। वादी अधिवक्ता द्वारा पहचान-पत्र, परिवार राशन कार्ड, जनाधार कार्ड एवं आधार-कार्ड प्रस्तुत किया सभी दस्तावेजो मे वादी का नाम गेहरू पिता हीरा है जो कि सही है। वादी अधिवक्ता द्वारा श्री गेहरू पिता हीरा, श्री गोदू पिता उदा एवं नेना पिता हीरा का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किया जाना आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार है:-

88. Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

गेहरू बनाम सरकार
94/2024 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक:-18/07/2025

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.


(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों (पहचान-पत्र, परिवार राशन कार्ड, जनाधार कार्ड एवं आधार-कार्ड) एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम माद पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 211 आराजी नम्बर 904 क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर कुल कित्ता 1 कुल क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 212 आराजी नम्बर 1014 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1015 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 876 क्षेत्रफल 0.6800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 899 क्षेत्रफल 4.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 900 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 901 क्षेत्रफल 0.6600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 916 क्षेत्रफल 14.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 941 क्षेत्रफल 5.7900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 948 क्षेत्रफल 3.2000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 953 क्षेत्रफल 2.7200 हैक्टेयर, कुल कित्ता 11 कुल क्षेत्रफल 32.3300 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 213 आराजी नम्बर 905 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, कुल कित्ता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 214 आराजी नम्बर 926 क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर, कुल कित्ता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम गोकल पिता हीरा हटाकर उसके स्थान पर




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

गेहरू बनाम सरकार

94/2024 (रे0वाद)

निर्णय दिनांक:-18/07/2025

गेहरू पिता हीरा राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्ध
देवगढ़, जिला राजसमन्ध

गेहरू बनाम सरकार
94/2024 (रोवाद)
निर्णय दिनांक:-18/07/2025

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :- अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :- 94/2024

अनवान

1. गेहरू पिता हिरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम माद, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज)।

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।


-प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री लूम्वसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से- पैरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 18/07/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम माद पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 211 आराजी नम्बर 904 क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 212 आराजी नम्बर 1014 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1015 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 876 क्षेत्रफल 0.6800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 899 क्षेत्रफल 4.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 900 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 901 क्षेत्रफल 0.6600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 916 क्षेत्रफल 14.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 941 क्षेत्रफल 5.7900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 948 क्षेत्रफल 3.2000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 953 क्षेत्रफल 2.7200 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल क्षेत्रफल 32.3300 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 213 आराजी नम्बर 905 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 214 आराजी नम्बर 926 क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम गोकल पिता हीरा हटाकर उसके स्थान पर गेहरू पिता हीरा राजस्व रिकॉर्ड




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

गेहरू बनाम सरकार
94/2024 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक:-18/07/2025

में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द